पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 21, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–11

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	407–409	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	107–476	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

30 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1455/XX-1–2021–2(32)2003–एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उपमहानिरीक्षक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13A के पद पर सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01.01.2022 से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/बैच वर्ष
1.	श्रीमती निवेदिता कुकरेती, RR-2008
2.	सुश्री पी. रेणुका देवी, RR-2008
3.	श्री बरिन्दरजीत सिंह, RR-2008

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1427/XX-1–2021–13(2)2007–उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रस्तर–5(3)(क) में किये गये प्रावधानों के अनुक्रम में श्री रामदत्त पालीवाल, अध्यक्ष, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हल्द्वानी को 2nd term हेतु जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हल्द्वानी में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1472/XX-1–2021–13(2)2007–उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रस्तर–5(2)(क) में किये गये प्रावधानों के अनुक्रम में न्यायमूर्ति श्री नारायण सिंह धनिक, न्यायाधीश, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात दिनांक 19.05.2022 के पश्चात् से उत्तराखण्ड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–03

अधिसूचना

03 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 01/IV(3)/2022–1(1घो0)/17–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या–1885/IV(3)/2021–1(1घो0)/17, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के क्रम में चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संविधान के अधीन श्रीनगर वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का सम्यक गठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, राज्यपाल एतद्द्वारा घोषित करते है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 5 के अनुसार नगर निगम संचालन हेतु धारा 8 कक (1) के अधीन श्रीनगर नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर को अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से विघटन हो जायेगा।

तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 8 कक (1) (ख) के अन्तर्गत श्रीनगर नगरीय क्षेत्र के संचालन हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को नगर निगम, श्रीनगर का प्रशासक नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति/पदोन्नति

04 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 07/2022/08(100)/XXVII(8)/2018–उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्न सहायक आयुक्त, राज्य कर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में उपायुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल '11' रू0 67700–208700 (पूर्व वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 6600) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

02– उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उपायुक्तों के निम्न रिक्त पदों पर तैनात किया जाता है :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय
1.	श्री राम लाल	उपायुक्त–3, (क0नि0) रूद्रपुर।
2.	श्री ज्ञान चन्द	उपायुक्त–2, (क0नि0) काशीपुर।

03– उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/159–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 21, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

सितम्बर 14, 2021 ई0

सं0 F-9(32)/RG/UERC/2021/534: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

भाग–1

प्रारम्भिक

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021, संक्षेप में उ.वि.नि.आ., शुल्क विनियम, 2021 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(यह विनियम दिनांक 02.10.2021 के अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

(3) ये विनियम वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25, अर्थात् 1 अप्रैल, 2022 से 31, मार्च 2025 तक इन विनियमों के अधीन आने वाले सभी मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु लागू होंगे।

2 विनियमों की परिधिः

(1) ये विनियम निम्नलिखित मामलों में लागू होंगे:–

a. एक उत्पादक कंपनी द्वारा एक वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति;

परन्तु, विद्युत की आपूर्ति में कमी होने पर आयोग, विद्युत के युक्तियुक्त मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम एक वर्ष हेतु एक उत्पादक कंपनी और एक अनुज्ञापी या अनुज्ञापियों के मध्य हुए करार के अनुसरण में विद्युत के क्रय या विक्रय हेतु शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकता है;

b. विद्युत का राज्यान्तर्गत पारेषण;

c. एस.एल.डी.सी. प्रभार;

d. विद्युत की खुदरा आपूर्ति;

परन्तु, दो या इससे अधिक वितरण अनुज्ञापियों द्वारा एक ही क्षेत्र में विद्युत के वितरण के मामलें में, वितरण अनुज्ञापियों के मध्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए आयोग, विद्युत के खुदरा विक्रय हेतु शुल्क की केवल अधिकतम सीमा तय कर सकता है;

परन्तु, आगे यह कि जहां आयोग ने अधिनियम की धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिये उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी है, वहां आयोग इन विनियमों और समय–समय पर संशोधित उविनिआ, राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन विनियम के अनुसार व्हीलिंग प्रभार, प्रतिसहायिकी अधिभार, अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन्मुक्त अभिगमन संबंधी प्रभार अवधारित कर सकता है।

(2) निम्नलिखित मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु ये विनियम लागू नहीं होगें:

a. उत्पादक स्टेशन जिनका शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रकिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है और अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया है।

b. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन स्टेशन, जो समय समय पर संशोधित उविनिआ आई0ई0 विनियमों द्वारा किसी भी अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

(3) सभी प्रयोजनों, जिनमें 31.03.2019 तक की अवधि से संबंधित समीक्षा मामलें सम्मिलित हैं, के लिये शुल्क के अवधारण से संबंधित मुद्दे उस अवधि के दौरान प्रचलित विनियमों द्वारा शासित होंगे।

3 परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में;

(1) "लेखा विवरण" से प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण अभिप्रेत है, यथा–

a. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के भाग–1 में समावेशित प्रपत्र के अनुसार तैयार व समय–समय पर संशोधित तुलन पत्र;

b. इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के नकदी प्रवाह विवरण (ए.एस–3) पर लेखा मानक या लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तालिका 7 के रूप के अनुसार तैयार, नकदी प्रवाह विवरण;

c. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेख;

d. समय समय पर आयोग द्वारा निर्देशित जानकारी के साथ अन्य समर्थक दस्तावेज व उनकी टिप्पणियां;

e. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के भाग 2 में समावेशित आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ लाभ और हानि लेखा;

f. संविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट;

परन्तु विद्युत के वितरण के कारोबार में संलिप्त किसी स्थानीय प्रधिकारी के मामलों में लेखा विवरण से अभिप्राय होगा कि ऐसे प्राधिकारी पर लागू सुसंगत अधिनियमों और संविधियों के अनुसार तैयार किये गये व रखे गये उपरोक्तानुसार मदें।

(2) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) जिसमें उसके संशोधन भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;

(3) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए या होने के लिए प्रक्षेपित तथा विनियम 22 के उपबन्धो के अधीन कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकार किया गया पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है।

(4) "कुल राजस्व आवश्यकता" से इन विनियमों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष विशेष के लिए अपने अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार से संबंधित सभी अनुमोदनीय व्ययों ओर रिटर्न की, शुल्कों के माध्यम से वसूली हेतु पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी या एस.एल.डी.सी. की आवश्यकता अभिप्रेत है;

(5) "आवंटन विवरण" से अनुज्ञापियों/उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. के प्रत्येक पृथक कारोबार के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु एक ऐसा विवरण अभिप्रेत है जिसमें किसी ऐसे राजस्व, लागतों, आस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों या प्रावधानों को दर्शाया गया हो जो;

a. प्रत्येक ऐसे पृथक कारोबार से या कारोबार के प्रभाग्रित होतें हैं का तथा साथ में उस प्रभार के आधार का वर्णन; या

b. अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी के अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार और प्रत्येक अन्य पृथक कारोबार के मध्य प्रभाजन अथवा आवंटन द्वारा अवधारित तथा उसके साथ प्रभाजन अथवा आबंटन के आधार का वर्णन;

परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ऐसा आबंटन विवरण इस प्रकार रखा जायेगा कि शुल्क अवधारण, चरणवार, यूनिटवार या संपूर्ण उत्पादन स्टेशन के लिये किया जा सके।

(6) "आवेदक" से एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. अभिप्रेत है जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनूसार कुल राजस्व आवश्यकता और या शुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन/याचिका का वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन किया है तथा इसमें एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. सम्मिलित है जिसका शुल्क स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति या वार्षिक निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में आयोग द्वारा समीक्षा का विषय है;

(7) "लेखा परीक्षण" से समय–समय पर संशाधित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233बी और 619 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) का अध्याय 10 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अभिप्रेत है;

(8) एक उत्पादक स्टेशन के मामले में, एक अवधि के संबंध में "अनुषंगी ऊर्जा उपभोग" से उत्पादक स्टेशन के अनुषंगी उपकरण जैसे कि संयंत्र के प्रचालन के उद्देश्य से उपयोग किये गये, किये जा रहे उपकरण और मशीनरी जिसमें उत्पादक स्टेशन का स्विचयार्ड सम्मिलित है, द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा ओर उत्पादक स्टेशन के भीतर की परिवर्तक हानियां अभिप्रेत है तथा इसे उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिट्स के जनरेटर टर्मिनल्स पर उत्पादित सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा;

परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के कॉलोनी उपभोग और अन्य सुविधाओं तथा उत्पादक स्टेशन पर निर्माण कार्य हेतु उपभोग की गई ऊर्जा को इन विनियमों के प्रयोजन हेतु अनुषंगी ऊर्जा के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

परंतु यह कि संशोधित उत्सर्जन मानकों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बाह्य ताप संचालित प्लांट (जेट्टी और सहयोगी आधारभूत ढांचे के अनुपालन के लिये सहायक ऊर्जा उपभोग को अलग से विचार मे लाया जायेगा।

(9) किसी दी गई अवधि हेतु पारेषण प्रणाली के संबंध में "उपलब्धता" से उस अवधि में "घंटो में" समय अभिप्रेत है जिसमें पारेषण प्रणाली डिलिवरी बिंदु तक अपनी रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के प्रेषण हेतु सक्षम है तथा इसे दी गई अवधि में कुल घंटो के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा।

(10) "आधार वर्ष" से वह वर्ष अभिप्रेत है जो नियंत्रण अवधि से दो वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती है, जो इन विनियमों द्वारा आवृत होगा तथा नियंत्रण अवधि हेतु आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 होगा;

(11) एक उत्पादन स्टेशन के संबंध में "लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे उत्पादक स्टेशन पर उत्पादित विद्युत क्रय करता है जिसका शुल्क इन विनियमों के अधीन अवधारित है, तथा पारेषण

कारोबार के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पारेषण प्रभारों का भुगतान कर पारेषण क्षमता की संविदा की है।

(12) एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ब्लॉक" में कम्बसटन टर्बाईन–जनरेटर्स, सहायक वेस्ट ताप रिकवरी ब्वायलर्स, संयोजित भाप टर्बाइन जेनरेटर्स और अनुषांगिकी सम्मिलित है;

(13) "पूंजी लागत" से विनियम 21 के अनुसार अवधारित पूंजी लागत अभिप्रेत है;

(14) "सी.ई.आर.सी." से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(15) "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित में से किसी घटना का अर्थ है जिसमें इन विनियमों के अन्तर्गत उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या एस.एल.डी.सी. के प्रचालन अभिग्रस्त निहितार्थ होते हो:

a. किसी विधान, प्रभाव में लाना, अंगीकरण, प्रख्यापन, संशोधन, आशोधन या निरस्त होना; या

b. किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या सरकारी अभिकरण जो ऐसे निर्वचन या अनुप्रयोग हेतु विधि के अधीन अंतिम प्रधिकारी हो, के द्वारा किसी भारतीय विधि के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन; या

c. परियोजना हेतु किसी सम्मति या अनापत्ति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त अनुज्ञप्ति में किसी शर्त या प्रसंविदा में किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन; या

d. भारत सरकार और किसी अन्य प्रस्तुत संपन्न स्तर के मध्य किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार/संधि का प्रवृत्त होना या उसमें परिवर्तन होना।

(16) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अधीन गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(17) "नियंत्रण अवधि" से तक की तीन वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2025 अभिप्रेत है जिसके लिए इन विनियमों में राजस्व आवश्यकता और शुल्क के अवधारण के सिद्धांत विनिर्दिष्ट किये गये है;

(18) "पारम्परिक ऊर्जा संयंत्र" से 25 MW से अधिक क्षमता के गैस आधारित तापीय या जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है;

(19) "कटआफ तिथि" से संपूर्ण परियोजना अथवा उसके एक भाग के वाणिज्यिक प्रचालन के दो वर्ष के पश्चात् वर्षात में 31 मार्च अभिप्रेत है और यदि संपूर्ण परियोजना या उसका भाग किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होता है तो कट ऑफ तिथि वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष में तीन वर्ष पश्चात् वर्षात की 31 मार्च होगी;

परन्तु यदि दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि परियोजना विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर से कारणों से कट ऑफ तिथि के भीतर पूंजीकरण नहीं किया सका तो आयोग कटआफॅ तिथि को विस्तारित कर सकेगा;

(20) "वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि" या "सी.ओ.डी." से एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट या ब्लॉक अथवा एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व की निम्नलिखित रूप से अवधारित की जायेगी:

a. एक उत्पादक यूनिट या ताप उत्पादक स्टेशन के ब्लॉक के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अधिकतम निरंतर रेटिंग (एम.सी.आर.) या लाभार्थी, यदि कोई है, को नोटिस के पश्चात् एक सफल ट्रायल रन के द्वारा संस्थापित क्षमता (IC) प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि, और पूर्णरूप में एक उत्पादन स्टेशन के मामले में उत्पादक स्टेशन की अंतिम उत्पादक यूनिट या ब्लॉक की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अभिप्रेत होगी:

b. जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की उत्पादक यूनिट के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से ग्रिड संहिता के अनुसार शिड्यूल प्रक्रिया पूरी तरह से लागू होने के पश्चात् 00.00 बजे से उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि और पूर्ण रूप से एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में, एक सफल ट्रायल रन के द्वारा उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तदनुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि अभिप्रेत होगी;

परन्तु:

(i) जहां लाभार्थी उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा क्रय करने की लिये बंधे हुए है, वहां ट्रायल रन उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थियों को सात दिन से नोटिस के पश्चात् आरम्भ होगा तथा शिड्यूलिंग, ट्रायल रन के पूर्ण होने के पश्चात् 00.00 बजे से आरम्भ होगी।

(ii) उत्पादक कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि उत्पादक स्टेशन केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण (विद्युत संयंत्रो और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2010 और ग्रिड संहिता के तकनीकी मानकों के मुख्य उपबंधो को पूरा करता है:

(iii) यदि एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन, जिसके पास पॉन्डेज़ ओर स्टोरेज है, अपर्याप्त जलाशय या ताल स्तर के कारणों से संस्थापित क्षमता मे तद्नुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उत्पादक स्टेशन की अंतिम यूनिट की तिथि ही उत्पादक स्टेशन वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि मानी जायेगी और ऐसे जल विद्युत स्टेशन के लिये, जैसे ही और जब ऐसा जलाशय/तालाब स्तर प्राप्त हो जाये, उत्पादन यूनिट या उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तद्नुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा:

(iv) यदि एक रन–ऑफ–रिवर जलविद्युत उत्पादक स्टेशन या उसकी उत्पादक यूनिट, लीन इनफ्लोज अवधि के दौरान जब पीकिंग क्षमता के ऐसे प्रदर्शन हेतु जल का प्रवाह अपर्याप्त होता है वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होती है तो उस जल विद्युत उत्पादन स्टेशन या उत्पादक यूनिट के लिये जब जैसे ही जल का प्रवाह उपलब्ध हो, संस्थापित क्षमता के तद्नुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

(v) उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग और इस संबंध में सभी नियमों और विनियमों तथा साथ ही विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु सी.ई.ए. तकनीकी मानक विनियम, 2010 के अनुपालन से संबंधित प्रमाण–पत्र पर संलग्नक 5 में संलग्न प्रारूप में निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कंपनी के सी.एम.डी./सी.ई.ओ./एम.डी. द्वारा हस्ताक्षर किय जायेंगे।

c. एक पारेषण प्रणाली के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 00.00 बजे से पारेषण अनुज्ञापी द्वारा घोषित वह तिथि अभिप्रेत है जिसका पारेषण प्रणाली का एक तत्व रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के पारेषण हेतु सफल ट्रायल रन के पश्चात् निरंतर सेवा में है:

परन्तु:

(i) नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति किसी पारेषण लाईन या उप स्टेशन के चार्ज किये जाने से पूर्व आवश्यक होगी।

(ii) जहां पारेषण लाईन या उप स्टेशन एक उत्पादक स्टेशन विशेष से ऊर्जा निष्क्रमण हेतु समर्पित है, वहां उत्पादक कंपनी और पारेषण अनुज्ञापी, जहां तक व्यवहारिक हो, एक साथ उत्पादक स्टेशन ओर पारेषण प्रणाली को चालू करने का प्रयास करेंगे और इन विनियमों के विनियम 21(7) के अनुसार उपयुक्त पारेषण सेवा करार के माध्यम से ऐसा सुनिश्चित करेंगे:

(iii) यदि एक पारेषण प्रणाली या उसके एक एलीमेंट को नियमित सेवा से ऐसे कारणों से रोका जाता है जिनका पारेषण अनुज्ञापी या उसके आपूर्तिकर्त्ता या उसके ठेकेदारों को दोष नही दिया जा सकता तो पारेषण अनुज्ञापी ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके एलीमेन्ट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के अनुमोदन हेतु एक उपयुक्त आवेदन के माध्यम से आयोग के पास निवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में आयोग पारेषण प्रणाली या एक एलीमेन्ट के नियमित सेवा में आने से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अनुमोदित कर सकता है।

(iv) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से, इसके रेटेड वोल्टेज स्तर पर एक वितरण अनुज्ञापी की विद्युत लाईन या उप स्टेशन की चार्जिंग की तिथि या वितरण अनुज्ञापी द्वारा चार्जिंग के लिये तैयार घोषित किये जाने की तिथि से सात दिन

पश्चात्, किन्तु ऐसे कारणों, जिनका दोष इससे आपूर्तिकर्त्ताओं या ठेकेदारों को नहीं दिया जा सकता, से यह चार्ज नहीं हो पाता, दोनों में से जो पहले हो, अभिप्रेत होगी:

परन्तु नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार किसी एच.टी./ई.एच.टी. या उपस्टेशन को चार्ज करने से पहले विद्युत निरीक्षक की अनापत्ति आवश्यक होगी।

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि जब तक सभी पक्षों की परस्पर सहमति न हो यथास्थिति ऊर्जा क्रय करार या क्रियान्वयन करार या पारेषण सेवा करार या व्हीलिंग करार या निवेश अनुमोदन में उल्लेखित वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तिथि से पहले की गई तिथि नहीं होगी।

(21) "दिन" से 00.00 बजे से आरम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;

(22) "घोषित क्षमता" या "डी.सी." से, एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ईंधन और जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और सुसंगत विनियमों में आगे की अर्हता को सम्मिलित करते हुये के अधीन, दिन में किसी टाईम ब्लॉक या पूरे दिन के संबंध में ऐसे उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित मेगा में एक्स–बस विद्युत प्रेषण की क्षमता अभिप्रेत है;

(23) इन विनियमों के अधीन शुल्क के उद्देश्य से "पूंजीकरण निरसान" से आयोग द्वारा स्वीकृत हटाने/निकालने के तद्नुरूप परियोजना की सकल स्थिर आस्तियों में कमी करना अभिप्रेत है;

(24) "डिजाईन ऊर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की 95: प्रतिशत संस्थापित क्षमता के साथ 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पादित किया जा सकता है;

(25) विचलन निपटान शुल्क (डीएसएम शुल्क) से अभिप्रेत उविनिआ (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामलों) विनियम, 2017 एवं समय–समय पर संशोधिन या इसके बाद के किसी भी पुनः अधिनियम के द्वारा निर्धारित डीएसएम शुल्क;

(26) "वितरण कारोबार" से वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव का कारोबार अभिप्रेत है;

(27) "वितरण हानि" से वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में ऊर्जा की हानियां अभिप्रेत है, जिसमें एयर कंडीशनिंग, लाईटिंग, बैटरी चार्जिंग, उप–स्टेशन उपकरणों के साधनों के उद्देष्य हेतु उपस्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग सम्मिलित है;

(28) एक पारेषण प्रणाली के संबंध में "एलीमेन्ट" से ऐसी आस्ति आभिप्रेत होगी जिसे निवेश अनुमोदन में परियोजना की परिधि के अधीन स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है;

(29) "वर्तमान उत्पादक स्टेशन" और "वर्तमान परियोजना" से ऐसा उत्पादक स्टेशन और परियोजना अभिप्रेत है जिसने 01.04.2022 से पूर्व सी.ओ.डी. प्राप्त कर लिया है;

(30) "शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व" से प्रचालित शुल्कों पर अनुज्ञापित/विनियम कारोबार से अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. को जमा अनुमानित राजस्व अभिप्रेत है;

(31) "उपार्जित व्यय" से एक उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु वास्तव में परिनियोजित नकद या नकद समतुल्य भुगतान की गई निधि, चाहें वह इक्विटी हो या डैट या दोनों अभिप्रेत है और इसमें वे प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं है जिनके लिए भुगतान अवमुक्त नहीं किया गया है;

(32) "विस्तारित जीवन" से प्रत्येक मामलों में अलग–अलग आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार उत्पादक स्टेशन अथवा उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली अथवा उसके एलीमेन्ट के उपयोगी जीवन से आगे का जीवन अभिप्रेत है;

(33) "वित्तीय वर्ष" से कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर अगले कैलेन्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(34) "अपरिहार्य घटनाओं" से किसी पक्ष, किसी घटना या परिस्थितियों के संबंध में वे घटनाएं अभिप्रेत है जो उस पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण में नहीं है, या उस पक्ष के किसी कृत्य के लोप के कारण नहीं है और जिसे युक्तियुक्त देखभाल और उचित तत्परता के प्रयोग से वह पक्ष रोक पाने में असमर्थ है जिसके पूर्वगामी की व्यापकता को सीमित किये बिना, भी सम्मिलित है:

a. दैवीय कृत्य जैसे आकाशीय बिजली, भूस्खलन, तूफान, तत्वों के कृत्य, भूकम्प, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदा या अतिशय रूप से प्रतिकूल मौसम की परिस्थियाँ;

b. सार्वजनिक शत्रु का कोई कृत्य, युद्ध (घोषित या अघोषित), घेराबंधी, अवरोध, विप्लव, दंगे, क्रान्ति, तोड़–फोड़, आतंकवादी या सैन्य कार्यवाही, बर्बरता और सिविल व्यवधान;

c. अपरिहार्य दुर्घटना, आग, धमाका, रेडिएक्टिव संदूषण और जहरीला हानिकारक रसायनिक संदूषण;

d. ग्रिड की कोई बंदी अथवा व्यवधान जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा या आयोग द्वारा या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपेक्षित या निर्देशित हो; और कोई बंदी या रूकावट जो किसी महत्वपूर्ण संयंत्र या उपकरण की विफलता के गंभीर और त्वरित जोखिम को टालने के लिये आवश्यक हो;

(35) "उत्पादन कारोबार" से एक उत्पादक स्टेशन से विद्युत उत्पादन का कारोबार अभिप्रेत है;

(36) "उत्पादन शुल्क" से एक उत्पादक स्टेशन विद्युत की एक्स–बस आपूर्ति हेतु शुल्क अभिप्रेत है;

(37) "उत्पादक यूनिट" के संबंध में थर्मल जनरेटिंग स्टेशन (संयुक्त चक्र थर्मल जनरेटिंग स्टेशन के अतिरिक्त) से गैस टर्बाईन–जनरेटर, स्टीम टर्बाईन–जनरेटर एंव अनुषंगी, जिसमें हीट रिकवरी यूनिट

भी सम्मिलित है या अन्य ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में गैस टर्बाईन–जनरेटर और अनुषंगी अभिप्रेत है; तथा एक जल विद्युत स्टेशन के संबंध में टर्बाईन जनरेटर और इसकी अनुषंगी अभिप्रेत है;

(38) "उत्पादन स्टेशन" से विद्युत उत्पादन हेतु कोई स्टेशन अभिप्रेत है, इसमें स्टेप–अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल्स या इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कोई अन्य अनुबन्ध उपकरण, यदि कोई है के साथ कोई भवन और संयंत्र और उसका स्थल तथा उत्पादक स्टेशन के प्रचालन स्टाफ के आवास हेतु उपयोग में लाया जाने वाला भवन सम्मिलित है, और जहां जल–शक्ति से विद्युत उत्पादित की जाती है वहां इसमें पेनस्टॉक्स, हैड एंड टेल वर्क्स, मेन और रेगुलेटिंग जलाशय, बांध और अन्य हायड्रॉलिक वर्क्स, सम्मिलित हैं किंतु इसमें किसी भी स्थिति में उप–स्टेशन सम्मिलित नहीं है;

(39) "ग्रिड संहिता" से समय समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(40) एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू" या "जी.सी.वी." से गैसीय ईंधन के एक मानक धन मीटर के पूर्ण दहन द्वारा KCal में उत्पादित ताप अभिप्रेत है;

(41) "सकल स्टेशन ताप दर" या "GHR" से ताप उत्पादन स्टेशन में जनरेटर टर्मिनल्स पर विद्युत ऊर्जा का एक kwh उत्पादित करने के लिये आवश्यक Kcal के ताप ऊर्जा इनपुट अभिप्रेत है;

(42) "भारत सरकार अभिकरण" से भारत सरकार, राज्य से सरकार (जहां परियोजना अवस्थित है) और भारत सरकार या राज्य सरकार, जहां परियोजना अवस्थित है, द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग या बोर्ड या एजेन्सी या अन्य विनियामक अथवा न्यायिक–कल्प प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(43) "अशस्त ऊर्जा" से उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व इन्जेक्ट की गई विद्युत अभिप्रेत है;

(44) "संस्थापित क्षमता" से आयोग द्वारा समय समय पर स्वीकृत, उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों की नाम पट्टिका क्षमता का समेशन या उत्पादक की क्षमता जनरेटर टर्मिनल्स पर गणना किये अनुसार अभिप्रेत है;

(45) "अन्तः संयोजन बिंदु" से वह बिन्दु अभिप्रेत है जहां विक्रेता के पावर स्टेशन स्विच यार्ड बस से यथा स्थिति, अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में ऊर्जा इन्जेक्ट की जाती है (राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के साथ पावर स्टेशन को जोड़ने वाली डेडिकेटड पारेषण लाईन सहित)।

(46) "अन्तर्राज्जीय उत्पादक स्टेशन" या "ISGS" से केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में दिया गया इसका अर्थ अभिप्रेत है;

(47) "राज्यान्तर्गत उत्पादक स्टेशन" से ऐसा उत्पादक स्टेशन या कैप्टिव उत्पादक संयंत्र (CGP) अभिप्रेत होगा जो एक अन्तर्राज्जीय उत्पादक स्टेशन नहीं है।

(48) "निवेश अनुमोदन से" परियोजना हेतु परियोजना हेतु मंजूरी, जिसमें परियोजना के क्रियान्वयन हेतु फंडिग और परियोजना के लागू होने के लिये समय सीमा बताते हुए आयोग द्वारा या एक उत्पादक कंपनी के मामले में यथास्थिति CEA या उत्पादक कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदन अभिप्रेत है;

परन्तु निवेश अनुमोदन की तिथि आयोग के अनुमोदन की तिथि से और एक उत्पादक कंपनी के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोर्ड के संकल्प/कार्यवृत्त/अनुमोदन की तिथि से मानी जायेगी;

(49) "दीर्घावधि पारेषण ग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पारेषण अनुज्ञापी के साथ सात वर्ष से अधिक का पारेषण सेवा करार है जिसमें पारेषण प्रभारों का भुगतान कर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु डीम्ड पारेषण अनुज्ञाप्ति सम्मिलित है;

(50) ताप उत्पादक स्टेशन की एक उत्पादक यूनिट के संबंध में "अधिकतम निरंतर रेटिंग" या "MCR" से रेटेड मानदंडों पर विनिर्माता द्वारा गारंटीशुदा जनेरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर आउटपुट अभिप्रेत है, और एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के एक ब्लॉक के संबंध में जल या वाष्प इन्जेक्शन (यदि लागू हो) के साथ विनिर्माता द्वारा गारंटीशुदा, जेनरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर आउटपुट और 50 Hz ग्रिड फ्रीक्वेन्सी व विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों तक संशोधित; अभिप्रेत है;

(51) "नई परियोजना" से तात्पर्य 01.04.2022 को या उसके पश्चात् COD प्राप्त करने वाली परियोजना से है;

(52) "गैर शुल्क आय" से मुख्य कारोबार की आस्तियों के उपयोग द्वारा प्राप्त शुल्क से आय से अन्यथा आय अभिप्रेत है और इसमें अन्य कारोबार से आय का समानुपात सम्मिलित हो सकता है;

(53) एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक" या "NAPAF" से विनियम 47(1)(ए) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक और एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में विनियम 47(1)(बी) और 47(1)(सी) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक अभिप्रेत है;

(54) "प्रचालन और अनुरक्षण व्यय" या "O&M व्यय" से कंपनी या एक परियोजना विशेष के प्रचालन और अनुरक्षण पर उपगत की ओर अभिप्रेत है और इसमें जन शक्ति, मरम्मत, स्पेयर्स, उपभोज्य, बीमा और ऊपरी खर्च पर व्यय सम्मिलित है, किन्तु ईंधन व्यय और जल प्रभार इसमें सम्मिलित नहीं है;

(55) "मूल परियोजना लागत" से आयोग द्वारा स्वीकृत वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक परियोजना की मूल परिधि की भीतर यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या SLDC द्वारा उपगत पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है;

(56) "अन्य कारोबार" से अधिनियम की धारा 41 के अधीन पारेषण अनुज्ञापी द्वारा या अधिनियम की धारा 51 के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा आरम्भ किया गया हो और जिसे ऐसे पारेषण अनुज्ञापी या ऐसे वितरण अनुज्ञापी की अस्तियों के अधिकतम उपयोग हेतु हाथ में लिया गया हो; अभिप्रेत है;

(57) किसी अवधि हेतु उत्पादक स्टेशन के संबंध में "संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF)" मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग द्वारा कम किए गए हुए MW में संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिये दैनिक घोषित क्षमता (DCs) का औसत अभिप्रेत है;

(58) एक दी गई अवधि हेतु ताप उत्पादक स्टेशन या यूनिट के संबंध में, "संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF)" से उस अवधि में संस्थापित क्षमता के तद्नुरूप निष्कासित ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान अनुसूचित उत्पादन के तद्नुरूप कुल निष्कासित ऊर्जा अभिप्रेत है जिसकी संगणना निम्नलिखित फॉर्मूला से की जायेगी:

$$PLF = 10000 * \sum_{i=1}^{N} \frac{SGi}{\{NxICx(100-AUXn)\}} \%$$

जब कि,

1C = उत्पादक स्टेशन या यूनिट की संस्थापित क्षमता MW में

SGi = अवधि के पवें टाईम ब्लॉक हेतु MW में अनुसूचित उत्पादन,

N = अवधि के दौरान टाईम ब्लॉक्स की संख्या, और

AUXn = सकल ऊर्जा उत्पादन के रूप में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग;

(59) "परियोजना" से यथास्थिति, SLDC या वितरण प्रणाली के मामले में एक उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली या अव्यव अभिप्रेत है और एक बहु–उद्देशीय जल–विद्युत स्टेशन में उत्पादन सुविधा के सभी अवयव जैसे बांध, ऊर्जा उत्पादन को प्रभाजित इन्टेक–वॉटर की उत्पादक यूनिट्स सम्मिलित होती है;

(60) "कुशल जांच" से उपगत हुए या उपगत होने के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की युक्तियुक्ता की संवीक्षा, वित्तीय योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत और समय में अधिक वृद्धि और अन्य कारक जो शुल्क के अवधारण हेतु आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाये अभिप्रेत है। कुशल जांच कराते समय आयोग यह देखेगा कि वह उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC अपने निर्णयों में सावधान ओर परियोजना के निष्पादन में सतर्क रही है;

(61) "एक पारेषण या वितरण प्रणाली में "रेटेड वोल्टेज" से वह डिजाइन वोल्टेज अभिप्रेत है जिस पर पारेषण और वितरण प्रणाली प्रचालन हेतु डिजाइन की गई है और इसमें ऐसी लोअर वोल्टेज सम्मिलित है जिस पर दीर्घावधि पारेषण ग्राहको या उपयोगकर्त्ताओं के साथ परामर्श कर तत्समय लाईन चार्ज की जाती है;

साप्ताहिक गजट 22 मार्च 2022 के भाग–1–क में पृष्ठकों की संख्या अधिक होने के कारण पृष्ठ संख्या 119 से 458 तक अपलोड नहीं है

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एच 14

आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित शुल्क से राजस्व

(आंकड़े करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	स्वीकृत भार	उपभोग	ऊर्जा प्रभार						स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	कुल राजस्व
					व्यस्त पीक घंटे		सामान्य घंटे		ऑफ पीक घंटे					व्यस्त पीक	सामान्य	ऑफ				
			(के वाट)	(यूनिट)	(रु/के वाट)	(रु/के वाट)	(रु/के वाट)	(रु/के वाट)	(रु/के वाट)	(रु/के वाट)	रु/कनेक्शन/माह	(रु/के वाट/माह)	न्यूनतम उपभोग प्रभार	रु0 करोड़ में	रु0 करोड़ में	रु0 करोड़ में	रु0 करोड़ में	रु0 करोड़ में	रु0 करोड़ में	रु0 करोड़ में
	एल टी																			
1	श्रेणी-1																			
ए	स्लैब-1																			
बी	स्लैब-2																			
सी	....																			
1	श्रेणी-2																			
ए	स्लैब-1																			
बी	स्लैब-2																			
सी	....																			
1	श्रेणी-3																			
ए	स्लैब-1																			
बी	स्लैब-2																			
सी	....																			
1	श्रेणी-n																			
ए	स्लैब-1																			
बी	स्लैब-2																			
सी	....																			
	एच टी																			
1	श्रेणी-1																			
ए	स्लैब-1																			
बी	स्लैब-2																			
सी	———																			
1	श्रेणी-2																			
ए	स्लैब-1																			
बी	स्लैब-2																			
सी	———																			
1	श्रेणी-3																			
ए	स्लैब-1																			
बी	स्लैब-2																			
सी	———																			
1	श्रेणी-n																			
ए	स्लैब-1																			
बी	स्लैब-2																			
सी	———																			
	योग																			

हस्ताक्षर

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 15

संग्रहण दक्षता

(आंकड़े रू0 करोड में)

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)	अक्षेपित	अक्षेपित	अक्षेपित	
	एच टी श्रेणी								
	श्रेणी–1								
	...								
	श्रेणी -n								
	एल टी श्रेणी								
	श्रेणी–1								
	....								
	श्रेणी -एन								
	योग								

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र एफ 18

सहीकरण का सार

अंतिम सहीकरण के लिये पूर्व वर्ष (एन-1) (आंकड़े रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियंत्रणीय	अनियंत्रणीय
1	ऊर्जा क्रय व्यय						
2	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय						
2.1	कर्मचारी व्यय						
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय						
2.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय						
3	अवक्षय के समक्ष अग्रिम सहित अवक्षय						
4	दीर्घावधि ऋण पूंजी पर ब्याज						
5	कार्यशील पूंजी व उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज						
6	पट्टा प्रभार						
7	अन्य व्यय (कृपया विवरण तैयार करें)						
8	आय कर						
9	पारेषण अनुज्ञापी का संदाय पारेषण प्रभार						
10	एस एल डी सी/आर एल डी सी/एनएलडीसी प्रभार						
11	अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान						
	कुल व्यय						
बी	इक्विटी पर प्रतिफल						
सी	राजस्व						
1	विद्युत के विक्रय से राजस्व						
2	अन्य आय						

नोटः कृपया अनियन्त्रणीय अयोग्य कारकों के कारण आए विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

अस्थायी सहीकरण के लिये वर्तमान वर्ष (एन)

(आंकड़े रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियंत्रणीय	अनियंत्रणीय
1	ऊर्जा क्रय व्यय						
2	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय						
2.1	कर्मचारी व्यय						
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय						
2.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय						
3	अवक्षय के समक्ष अग्रिम सहित अवक्षय						
4	दीर्घावधि ऋण पूँजी पर ब्याज						
5	कार्यशील पूंजी व उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज						
6	पट्टा प्रभार						
7	अन्य व्यय (कृपया विवरण तैयार करें)						
8	आय कर						
9	पारेषण अनुज्ञापी का संदाय पारेषण प्रभार						
10	एन एल डी सी/आर एल डी सी/एसएलडीसी प्रभार						
11	अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान						
	कुल व्यय						
बी	इक्विटी पर प्रतिफल						
सी	राजस्व						
1	विद्युत के विक्रय से राजस्व						
2	अन्य आय						

नोट: कृपया अनियन्त्रणीय अयोग्य कारकों के कारण आए विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 17.1

प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एस ए आई एफ आई ई)

माह	A_i=पत्रमाह हेतु iवें पोषक पर धारित व्यवधान (प्रत्येक 5 मिनट से अधिक) की कुल संख्या	N_i= प्रत्येक व्यवधान के कारण iवें प्रभावित पोषक का संयोजित भार	N_t= वितरण अनुज्ञप्ती के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के वी में कुल संयोजित भार	n= आपूर्ति के अनुज्ञापित क्षेत्र में 11 केवी पोषकों की संख्या (मुख्य रूप से कृषि भार पोषण करने वाले पोषकों को छोड़कर)	SAIFIE $\sum_{i=1}^{n} \frac{(A_i \times N_i)}{N_t}$
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
कुल					

नोट: 1. पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथक्करण किया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।

2. सूचकांकों का परिकलन उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार किया जाये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 17.2

प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एस ए आई डी आई)

माह	B_i = माह हेतु iवें पोषक पर सभी धारित व्यवधानों की कुल अवधि	N_i = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित पोषक का संयोजित भार	N_t = वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के0 वी0 पर कुल संयोजित भार	n = आपूर्ति के अनुज्ञापित क्षेत्र में 11 केवी पोषकों की संख्या (मुख्य रूप से कृषि भार सेवा करने वाले पोषकों को छोड़कर)	SAIDI $\sum_{i=1}^{n} \frac{(B_i \times N_i)}{N_t}$
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
Total					

नोटः
1. पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथक्करण किया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।
2. सूचकांकों का परिकलन उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार किया जाये।

———

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 17.3

क्षणिक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एम ए आई एफ आई)

माह	C_i = माह हेतु में पोषक पर सभी धारित व्यवधानों की कुल संख्या (प्रत्येक 5 मिनट के बराबर या उससे कम)	N_i= प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित डेरे पोषक का संयोजित भार	N_t= वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के वी पर कुल संयोजित भार	n= आपूर्ति के अनुज्ञापित क्षेत्र में 11 केवी पोषकों की संख्या (मुख्य रूप से कृषि भार सेवा करने वाले पोषकों को छोड़कर)	MAIFI $\frac{\text{En Ai x Ni}}{\text{Ne}}$ i=1
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
योग					

नोट:
1. पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथक्करण किया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।
2. सूचकांकों का परिकलन उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार किया जाये।

प्राधिकारकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 18.1

शंट कैपेसिटर परिवर्धन /मरम्मत कार्यक्रम

क्रम सं0	विवरण	क्षमता (एम वी ए आर)
कैपेसिटर परिवर्धन		
1	पूर्व वर्ष के अंत में कुल कैपेसिटर्स आवश्यक	
2	पूर्व वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से संस्थापित कैपेसिटर्स	
3	पूर्व वर्ष के अंत में बैक लॉग/कमी (1–2)	
4	वर्तमान वर्ष के लिए अतिरिक्त आवश्यकता	
5	वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े जाने के लिए आवश्यक कुल क्षमता (3+4)	
6	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान वास्तव में संस्थापित	
7	वर्तमान वर्ष के द्वितीयार्ध हेतु लक्ष्य	
8	वर्तमान वर्ष की अवधिके दौरान जोडे जाने के लिये संभावित कुल कैपेसिटर्स (6+7)	
9	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने वाली संभावित कुल क्षमता (2-11)	
10	कमी यदि कोई है (5-9)	
त्रुटिपूर्ण शंट कैपेसिटर्स की मरम्मत		
11	पूर्व वर्ष के अंत में	
12	पूर्व वर्ष के अंत तक उपलब्ध शुद्ध क्षमता (2-8)	
13	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध में क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स	
14	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध में मरम्मत किये गये कैपेसिटर्स	
15	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के अंत तक उपलब्ध शुद्ध क्षमता (12-13+14)	
16	वर्तमान वर्ष के अंत क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स का लक्ष्य स्तर	
17	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने वाली संभावित शुद्ध क्षमता (9-16)	
18	वर्तमान वर्ष के अंत तक शुद्ध कमी (5-17)	

उपरोक्त पत्रक के साथ, उसके कारणों एवं सुधार हेतु किये गये उपायों/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न किया जाये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम ______________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ______________

प्रपत्र एफ 18.2

विद्युत दुर्घटनाऐं

दुर्घटना का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या					
	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष		
	घातक	अघातक	योग	घातक	अघातक	योग
मानवीय						
पशु						
योग						

उपरोक्त विवरण के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये उपायों/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 16.3

पोषक ट्रिपिंग के कारण आउटेजेज् का सार

क्रम सं0	मद	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष (वास्तविक)		
		पोषकों की संख्या	ट्रिपिंगस की संख्या	ट्रिपिंगस की (घंटे) कुल अवधि	पोषकों की संख्या	ट्रिपिंगस की संख्या	ट्रिपिंगस (घंटे) की कुल अवधि
1	पोषक वोल्टेज स्तर – 1						
2	पोषक वोल्टेज स्तर – 2						
3	पोषक वोल्टेज स्तर – 3						
4	वोल्टेज स्तर–1 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						
5	वोल्टेज स्तर–2 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						
6	वोल्टेज स्तर–3 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						

वितरण अनुज्ञापी के लिए वोल्टेज स्तर 66 केवी, 33 केवी और 11 केवी है प्रति पोषक औसत व्यवधान = व्यवधानों की कुल अवधि/(पोषकों की संख्या x ट्रिपिंग की संख्या)
उपरोक्त विवरणके साथ उसके कारणों सुधार हेतु किये गये उपायों नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 18.4

वर्ष के दौरान की गई श्रेणीवार लोड शैडिंग (एम0यू0 में)

क्रम सं0	विवरण	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3	अन्य विक्रय	योग
पूर्ववर्ती वर्ष						
1	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (ड्राउन के नियंत्रण हेतु)					
2	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये)					
3	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (डी पी सी एल नेटवर्क में कम वोल्टेज के कारण)					
4	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
5	स्वयं के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
6	किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
7	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में पारेषण बाध्यता के कारण					
8	स्वयं के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिए					
9	किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये					
10	कोई अन्य कारण					
	पूर्व वर्ष के लिये योग					
वर्तमान वर्ष (उस अवधि के लिये जिस के लिये वास्तविक डाटा उपलब्ध है)						
1	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (ड्राउन के नियंत्रण हेतु)					
2	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये)					
3	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (डी पी सी एल नेटवर्क में कम वोल्टेज के कारण)					
4	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
5	स्वयं के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
6	किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
7	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में पारेषण बाध्यता के कारण					
8	स्वयं के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिए किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में					
9	किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये					
10	कोई अन्य कारण					
वर्तमान वर्ष के लिये योग						

पूर्ववर्ती वर्ष/या पत्रक तथा वर्तमान वर्ष हेतु वास्तविक उपलब्ध डाटा की अवधि प्रस्तुत की जाये।

तीव्र वोल्टेज उतार चढ़ाव व चक्रीय साप्ताहिक अवकाश को लोड शैडिंग न माना जाये।

उपरोक्त पत्रकों के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गयेउपायों/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 18.6

अतिभारित-पोषक

क्रम संख्या	क्षेत्र	पूर्व वर्ष						वर्तमान वर्ष					
		फीडरों की संख्या	लाईन की लंबाई (सी के टी कि मी)	अतिभारित फीडरों की संख्या	लाईन लंबाई अतिभारित फीडर (सी के टी कि मी)	क्षेत्र में अतिभारित फीडरों की संख्या % में	क्षेत्र में अतिभारित फीडरों की लंबाई % में	फीडरों की संख्या	लाईन की लंबाई (सी के टी कि मी)	अतिभारित फीडरों की संख्या	लाईन लंबाई अतिभारित फीडर (सी के टी कि मी)	क्षेत्र में अतिभारित फीडरों की संख्या % में	क्षेत्र में अतिभारित फीडरों की लंबाई % में
1	सर्किल 1												
ए	66 के वी												
	जनपद–1		आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र										
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उप–योग सर्किल 66 केवी												
बी	33 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उप–योग सर्किल 33 केवी												
सी	11 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उप–योग सर्किल 11 केवी												
II	सर्किल 2												
ए	66 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उपयोग सर्किल 66 केवी												
बी	33 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उप–योग सर्किल 33 केवी												
सी	11 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उप–योग सर्किल 11 केवी												
66 के वी पर सभी सर्किलों का योग													
33 के वी पर सभी सर्किलों का योग													
11 के वी पर सभी सर्किलों का योग													

एक उपकरण को अतिभारित केवल तभी माना जाये यदि वह प्रतिदिन औसत एक घंटे के लिये रेटेड भार के 100% से अधिक से भार हो. [illegible] पूर्व वर्ष के लिये तथा वर्तमान वर्ष की वास्तविक अवधि हेतु प्रदान की जाये।

उपभोक्ता [illegible] के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये उपायों/नियोजित उपायों पर विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

प्राधिकारकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 18.6

परिवर्तकों की विफलता

क्रम सं0	मद	पूर्ववर्ती वर्ष			वर्तमान वर्ष (वास्तविक)		
		परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलताओं की कुल अवधि (घंटे)	परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलताओं की कुल अवधि (घंटे)
	परिवर्तन अनुपात						
1	रूपांतरण अनुपात – 1						
2	रूपांतरण अनुपात – 2						
3	रूपांतरण अनुपात – 3						
4	रूपांतरण अनुपात – 4						
	व्यवधान की औसत अवधि						
5	रूपांतरण अनुपात–1 के लिए प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
6	रूपांतरण अनुपात–2 के लिए प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
7	रूपांतरण अनुपात–3 के लिए प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
8	रूपांतरण अनुपात–4 के लिए प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						

वितरण अनुज्ञापी के लिए रूपांतरण अनुपात 66/33 केवी, 66/11 केवी, 33/11 केवी, और 11 केवी/400 हैं। केवी, और 11 केवी/400 हैं।
उपरोक्त पत्रक के साथ उसके कारणों व सुधार हेतु किये गये उपायों/ नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 18.7

अतिभारित वितरण परिवर्तक (डी टी आर्स)

क्रम सं0	क्षेत्र	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष		
		क्षेत्र में डी टी आर्स की संख्या	क्षेत्र में अतिभारित डी टी आर्स की संख्या	अतिभारित डी टी आर्स की संख्या % में	क्षेत्र में डी टी आर्स की संख्या	क्षेत्र में अतिभारित डी टी आर्स की संख्या	अतिभारित डी टी आर्स की संख्या % में
I	सर्किल 1						
ए	33 के वी						
	जनपद–1						
	जनपद–2						
	जनपद–3						
	उप–योग सर्किल 33 केवी						
बी	11 के वी						
	जनपद–1						
	जनपद–2						
	जनपद–3						
	उप–योग सर्किल 11 केवी						
II	सर्किल 2						
A	33 के वी						
	जनपद–1						
	जनपद–2						
	जनपद–3						
	उपयोग सर्किल 66 केवी						
B	11 के वी						
	जनपद–1						
	जनपद–2						
	जनपद–3						
	उप–योग सर्किल 11 केवी						
33 के वी पर सभी सर्किल्स के लिये योग							
11 के वी पर सभी सर्किल्स के लिये योग							

एक उपकरण को अतिभारित केवल तभी माना जाये यदि वह प्रतिदिन औसतन एक घंटे के लिये रेटेड भार के 110% से अधिक ले रहा हो।

जानकारी पूर्व वर्ष के लिये तथा वर्तमान वर्ष की वास्तविक अवधि हेतु प्रदान की जाये।

उपरोक्त प्रपत्र के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये उपायों/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 18.0

प्राप्यों की आयुकारक अनुसूची

(वर्तमान वर्ष के 30 सितम्बर पर)

(आंकड़े रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	प्राप्य	आयु के साथ अनुज्ञापी के प्राप्य					
		< 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 माह से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	> 4 वर्ष
1	सर्किल 1						
	श्रेणी –1						
	श्रेणी –2						
	श्रेणी –3						
	श्रेणी –4						
	श्रेणी –5 इत्यादि						
	सर्किल के लिये उप योग						
2	सर्किल 2						
	श्रेणी –1						
	श्रेणी –2						
	श्रेणी –3						
	श्रेणी –4						
	श्रेणी –5 इत्यादि						
	सर्किल के लिये उप योग						
योग							

उपरोक्त पत्रक के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये उपायों/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 18.9

मीटरिंग की प्रास्थिति

क्रम सं0	मद	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3 इत्यादि	अन्य विवरण	योग
च	पूर्व वर्ष					
1	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर मीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या					
2	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर गैर मीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या					
3	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या					
4	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर त्रुटिपूर्ण मीटरों वाले उपभोक्ताओं का संख्या					
5	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर मीटरीकृत उपभोक्ताओं के % के रूप में त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता (4/1)					
6	पूर्व वर्ष के आरम्भ में कुल उपभोक्ताओं के % के रूप में गैर मीटरीकृत उपभोक्ता (2/3)					
छ	वर्तमान वर्ष					
1	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर मीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या					
2	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर गैर मीटरीकृत उपभोक्ता					
3	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या (1+2)					
4	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या					
5	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर मीटरीकृत उपभोक्ताओं के % के रूप में त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता (4/1)					
6	वर्तमान वर्ष के आरम्भ में कुल उपभोक्ताओं के % के रूप में गैर मीटरीकृत उपभोक्ता (2/3)					

प्राधिकारी

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 18.10

ग्राहक बिलों का जारी करना

क्रम सं0	श्रेणी	पूर्व वर्ष		वर्तमान वर्ष (वास्तविक)	
		बिलिंग अवधि के 30 दिनों के भीतर जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिनों के पश्चात् जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिनों के भीतर जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिनों के पश्चात् जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या
1	श्रेणी – 1				
2	श्रेणी – 2				
3	श्रेणी – 3				
4	श्रेणी – 4				
5	श्रेणी – 5				
6	श्रेणी – 6				
7	श्रेणी – 7 इत्यादि				
	योग				

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 18.11

लंबित सेवा संयोजन आवेदनों की संख्या

पूर्व वर्ष (एन-1)

क्रम सं0	श्रेणी	अवधि के आरम्भ में लंबित	संबंधित भार (एम कव्यू)	अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का संख्या	संबंधित भार (एम कव्यू)	अवधि के दौरान जारी संयोजनों की संख्या	संबंधित भार (एम कव्यू)	अवधि के अंत में लंबित	संबंधित भार (एम कव्यू)
1	श्रेणी – 1								
2	श्रेणी – 2								
3	श्रेणी – 3								
4	श्रेणी – 4								
5	श्रेणी – 5								
6	श्रेणी – 6								
7	श्रेणी – 7 इत्यादि								
	योग								

पूर्व वर्ष (एन)

क्रम सं0	श्रेणी	अवधि के आरम्भ में लंबित	संबंधित भार (एम कव्यू)	अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का संख्या	संबंधित भार (एम कव्यू)	अवधि के दौरान जारी संयोजनों की संख्या	संबंधित भार (एम कव्यू)	अवधि के अंत में लंबित	संबंधित भार (एम कव्यू)
1	श्रेणी – 1								
2	श्रेणी – 2								
3	श्रेणी – 3								
4	श्रेणी – 4								
5	श्रेणी – 5								
6	श्रेणी – 6								
7	श्रेणी – 7 इत्यादि								
	योग								

प्राधिकृतकर्ता

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/159–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।